(ख) जी, नही।

(ग) प्रश्न ही नही उठता।

(घ) और (ड) जी, हां।

(च) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए, प्रश्न ही नही होता।

कृषि एक प्रमुख उद्योग

1094. **श्री नागमणि**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि देश का प्रमुख उद्योग है और क्या इस क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या अधिकर्तम है;

(ख) यदि हां, तो कृषि क्षेत्र में कार्यरत तीन-चौथाई तथा सीमान्त किसानों के लिये इस क्षेत्र में नई श्रमिक प्रधान कृषि तकनीक अपनाकर रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने नई श्रमिक प्रधान कृषि तकनीक में निवेश करने और देश के कृषि क्षेत्र में श्रमिकों के लिये रोजगार के नये तथा अतिरिक्त अवसर जुटाने हेतु इसका उपयोग करने के लिये कोई कारगर उपाय किये है।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नही, तो उसके क्या कारण है और देश में कुल कितने प्रतिशत श्रमिक कृषि क्षेत्र से अपना जीविकोपार्जन कर रहे है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालचारी): (क) हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की प्रमुख भूमिका है। सकल घरेलु उत्पाद में इसका योगदान लगभग 27 प्रतिशत है कामगरों को रोजगार मुहैया होता है। निर्यात के मामले में इसका अंश कुल निर्यात का लगभग 18 प्रतिशत है।

(ख) अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के सबसे अधिक संभावित क्षेत्रों में बीमित किए गए सिंचाई, पशुपालन, मात्स्यिकी, बागवानी, कृषि-व्यवसाय और जल कृषि क्षेत्र में खेती करना शामिल है। इन क्षेत्रों में, विशेषतया लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए, रोजगार मुहैया करने की अधिक क्षमताएं है।

(ग) से (ड) आठवीं योजना अवधि (1992-97) के दौरान, कृषि व इससे जुड़े कार्यकालापों जैसे बागवनी, मात्स्यिकी तथा वर्षासिंचित खेती में महत्वपूर्ण स्तर का निवेश किया गया। कृषि मेँ रोजगार व निवेश को बढ़ाने वाले उपायो में वृद्धित योजना परिव्यय, अवसंरचना का विकास, उत्पादकता बढ़ाने के लिये संसाधनों का अधिक दक्ष ढग से प्रयोग और किसानों को परिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करना शामिल है ताकि और अधिक निवेश के लिए अपनी बचत को उपयोग मे ला सके। मध्यम और गौण सिंचाई व मृदा संरक्षण संबंधी परियोजनाओं को ऋण मुहैया कराने के लिये नाबार्ड में ग्रामीण अवसंरचना विकास नामक एक नया कोष स्थापित किया गया है। 1996-97 में नाबार्ड की 500 करोड़ रूपये की अंश पूंजी को अगले पांच वर्षो में 2,000 करोड़ रूपए तक बढ़ाने के लिये प्रावधान किया गया है। 1996-97 के दौरान शुरू की गई त्वारित सिंचाई लाभ कार्यक्रम नामक नई योजना के अंतर्गत, 1997-98 के दौरान राज्यों को ऋण के रूप में सहायता देने के लिये 1300 करोड़ रूपये (बजट प्राक्क्लन) का प्राचधान रखा गया है ताकि चयनित की गई बडी व बहु-उद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके। कुल कामगारों क लगभग 64 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में कार्यरत है।

New Schemes for Fisheries Development in Punjab

1095. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what are the details of the new Schemes sanctioned during the current year for fisheries development in Punjab;

(b) what is the Scheme-wise amount of assistance being provided by Government to the State; and

(c) the steps being taken or proposed to be taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) During the current year, no new schemes have been sanctioned for fisheries development in Punjab.

(b) and (c) Do not arise in view of answer to (a) above.